

नगरपालिका आम निर्वाचन 2022



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

2
दिन शेष

“मतदाता करें एक जरूरी काम,
सूची में ढूँढ़ लें अपना नाम”

मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन में
नाम जोड़ने, संशोधन, अथवा विलोपन
की प्रक्रिया हेतु अंतिम तिथि 10.06.2022

प्रारूप मतदाता
सूची देखें



- जिला कार्यालय
- नगर निकाय के मुख्य कार्यालय
- नगर निकाय के अंचल कार्यालय
- वार्ड क्षेत्र अंतर्गत स्थित थाना
अथवा थाना जिसके क्षेत्र अंतर्गत
वार्ड या वार्ड का अंश स्थित है
- वार्ड क्षेत्र अंतर्गत डाकघर
- नगर निकाय बाजार एवं आम
वाचनालय तथा आम पुस्तकालय
- आयोग के वेबसाइट
sec.bihar.gov.in

कैसे करें आवेदन

ऑफलाइन

- मतदाता अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में सीधे निबंधन पदाधिकारी (अनुमंडल पदाधिकारी)/ रिवाइजिंग अथॉरिटी (प्राधिकृत पदाधिकारी) को दे सकते हैं।
- सारे प्रपत्र निबंधन पदाधिकारी (अनुमंडल पदाधिकारी)/ रिवाइजिंग अथॉरिटी (प्राधिकृत पदाधिकारी) के कार्यालय में उपलब्ध हैं या फिर आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
- आवेदन जमा करने पर पावती रसीद अवश्य प्राप्त करें।



ऑनलाइन

- मतदाता आयोग की वेबसाइट sec.bihar.gov.in पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में भी आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने के बाद स्वतः यूनिक नम्बर प्राप्त होंगे, इसी यूनिक नम्बर से आप अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति जान सकते हैं।

निर्धारित प्रपत्र जिसमें आवेदन देना है :-

- मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए - प्रपत्र-2
- किसी मतदाता से संबंधित विशिष्टियों के संशोधन के लिए - प्रपत्र-2A
- किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति के लिए - प्रपत्र-3

कृपया ध्यान दें

अंतिम तिथि 10.06.2022 के बाद प्रारूप मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा।



“आयोग का है ये विचार,
सभी मतदाता की सूची हो तैयार”

नोट :- वर्तमान में कुल 144 नगर निकाय की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। इन नगर निकायों की सूची आयोग के वेबसाइट पर देखी जा सकती है।



SECBIHAR



sec.bihar.gov.in



secbihar@gmail.com



हेल्पलाइन : टोल फ्री नम्बर
1800-3457-243

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा जनहित में जारी